

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में

प्रकाश,
टीकादास भारराज कानिका डिग्री कॉलेज समिति,
जनपद उन्नाव
(संख्या- प्रेम सिंह कॉलेज ऑफ फार्मसी,
गांव, मुर्तजा नगर, पोस्ट-सोपिक, उन्नाव)

पत्रांक-प्रावि/परिषद/2019/ 130

लखनऊदिनांक- 08-4-19

विषय- संस्थान को सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु सहमति पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।

माहोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक 210 दिनांक 21-02-2019 को संदर्भित करने का कष्ट करें।
उपरोक्त के कम में अवगत कराया जाना है कि माऊ सर्वोच्च न्यायालय ने दायित्व विहित अपील संख्या
9408/2012 में पारित आदेश दिनांक 13-12-2012 के अनुपालन में किरी शैक्षिक सत्र हेतु प्राविधिक
शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा सम्बद्धता प्रदान करने अथवा न करने की अंतिम तिथि उस वर्ष की
माह मई की 15 तारीख है। प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी
शिक्षण संस्थानों को सम्बद्धता प्रदान करता है, एवं इस हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई
दिल्ली से प्रस्तावित संस्थान एवं पाठ्यक्रम के अनुमोदन-पत्रों को संस्थान की सम्बद्धता पर परिषद विचार
करता है। इस संबंध में कतिपय औपचारिकतार् अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अनुमोदन
पत्र निर्गत होने के पूर्व परिषद द्वारा पूर्ण कर ली जाती है। ऐसा इसलिए आवश्यक होता है कि माऊ
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय-सारणी के अनुसार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को
अनुमोदन प्रदान करने हेतु अंतिम तिथि उस वर्ष की 30 अप्रैल निर्धारित की गयी है।

संस्था को सहमति पत्र इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि संस्था द्वारा अखिल भारतीय
तकनीकी शिक्षा परिषद एवं फार्मसी कानूनिष्ठ ऑफ इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त अनुमोदन पत्र
दिनांक 30 अप्रैल 2019 तक प्रत्येक दशा में परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
उपरोक्त अवधि तक यदि संस्था द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली एवं
फार्मसी कानूनिष्ठ ऑफ इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा सत्र 2019-20 हेतु प्रदत्त अनुमोदन पत्र परिषद कार्यालय में प्राप्त नहीं
कराया गया तो ऐसी स्थिति में संस्था को परिषद से सम्बद्धता प्रदान करने पर विचार नहीं किया
जायेगा।

उपरोक्तानुसार निर्गत सहमति पत्र प्रतीकाल्मक है, और उपरोक्तानुसार वर्णित शर्तों को पूर्ण
किये जाने पर ही मान्य होगा।

भवदीय



(संजीव कुमार सिंह)
सचिव



Principal


Prem Singh College of Pharmacy
Murtaza Nagar-Utnav

पुस्तक- प्राशिव/परिषद/2019/

तद्दिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- रजिस्ट्रार-कम-सेक्रेटरी, फार्मसी काउन्सिल आफ इण्डिया, एन0बी0सी0सी0 सेक्टर, तृतीय तल, प्लॉट नं0 2, कम्युनिटी सेक्टर, मां आनंदमडु मार्ग, ओखला, फेज-1, नई दिल्ली- 110002
- 2- अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नेल्सन मण्डेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली- 110070
- 3- अनुसचिव, प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।


Principal
Prasad Singh College of Pharmacy
Murtaza Nagar-Uttar

(संजीव कुमार सिंह)
सचिव

**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ दिनांक: 15-9-2020

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्मेली काउन्सिल ऑफ इंजिनियर्स, नई दिल्ली द्वारा सैद्धिक सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य बातों पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद-3 में डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा महत्व विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

'निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीसीआईई द्वारा उन्हें पथकत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीसीआईई द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीसीआईई द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।'

दिनांक 14-08-2020 को आहूत सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संख्या को प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीसीआईई द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पीसीआईई /परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	2060	एम सिंह कॉलेज ऑफ फार्मेसी, विलेज-बुर्जा नगर, पो-अजमेर, लखनऊ।	डिप्लोमा इन फार्मेसी	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एआईसीटीआई/पीसीआईई द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1962 सेक्टर विनियमावली-2018 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इजी पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्मेली पाठ्यक्रम हेतु रु०-45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्मेली पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही इत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जावेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में सम्बन्ध-समय पर सततता द्वारा निर्गत किये जाने वाले शतकवदेत प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किये

(Handwritten Signature)

जाना आवश्यक होगा। नीचे निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनीकरण करें लागू होगी।


- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राथमिक शिक्षा समितिओं तथा उच्च समितिओं, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विधिवतमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत सलनादेशों के अनुसार विज्ञापन एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0आई0/पी0सी0आई0 से जानकी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अतिनियमों/सलनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये तैयार होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी0सी0आई0 नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संस्था में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और किन्हीं भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निर्देशक एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई खर्च वापर किया जाता है तथा वापर बाद के संकट में या न्यायक्षेत्र द्वारा किन्हीं प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेशों निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संघटित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश उच्चमध्य द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवंटित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आख्यान नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक मुद्रिकाएं, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, चला किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त कक्षाकरण उपलब्ध कराने के साथ भौतिक संरचना के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निर्दिष्ट समिति के समस्त उपलब्ध कराने गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किन्हीं अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपलब्ध का प्रयोग किन्हीं अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुरोधनात्मक कार्यवाही की जायेगी।



=/L (डॉ० आनंद सिंह)
सचिव

पुस्तक- प्राथम/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1972-3141

तद् दिनांक 15-09-2020

प्रतिनिधि-प्रधानाचार्य/निदेशक, प्रेम सिंह कॉलेज ऑफ फार्मसी, किलेज-मुर्तजा नगर, पो-अजमैर, उन्नाव।


Principal
Prem Singh College of Pharmacy
Murtaza Nagar-Uttar


=/C (डॉ० आनंद सिंह)
सचिव